

कार्यालय जिला वेसिक शिक्षा अधिकारी गाजियाबाद।

पत्रांक मान्यता-टी0सी0 /

/2020-21

दिनांक

प्रदन्धक,

सेंट जेवियर्स हाईस्कूल (जू0हा0स्कूल स्तर)

शाहपुर बम्हैटा गाजियाबाद।

कृपया आप द्वारा अपने पत्र दिनांक 07-11-2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा विद्यालय की मान्यता स्थायी करने का अनुरोध किया गया है। आवेदन पत्र पर खण्ड शिक्षा अधिकारी नगर क्षेत्र गाजियाबाद द्वारा अपनी संस्तुति अंकित की गई है।

प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार विद्यालय को नर्सरी से कक्षा 8 तक जूनियर स्तर की नवीन अस्थायी मान्यता इस कार्यालय के पत्रांक /मान्यता-शि0स0/9670-72 /2017-18 दिनांक 31-01-2018 द्वारा प्रदान की गई है।

अतः सम्वन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी गाजियाबाद की संस्तुति दिनांक 11-11-2020 के आधार पर शासनादेश संख्या-89/अरसठ-3-2018-2041 दिनांक 11-01-2019 एवं शासनादेश संख्या- 196/अडसठ-3-2020-2041/2018 दिनांक 29 जून 2020 द्वारा मान्यता की शर्तों में किये गये संशोधन आदेश में दी गई व्यवस्था के अनुसार मान्यता की नवीन शर्तें पूर्ण करने तथा विद्यालय के विरुद्ध कोई शिकायत न होने के कारण विद्यालय को पूर्व में दी गई मान्यता स्थायी की जाती है। विद्यालय को भविष्य में भी मान्यता की शर्तों के मानक को बनाये रखना होगा।

(ब्रजभूषण चौधरी)

जिला वेसिक शिक्षा अधिकारी
गाजियाबाद।

/2020-21 तददिनांक

पृ0स0 मान्यता-टी0सी0 /

प्रतिलिपि- सम्वन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी गाजियाबाद को सूचनार्थ।

जिला वेसिक शिक्षा अधिकारी
गाजियाबाद।

St. Xavier's High School

Principal



जिान बसिक शिक्षा अधिकारी,
गाजियाबाद।

प्रबन्धक

सेंट जेवियर्स हाई स्कूल (जू0हा0स्कूल स्तर)
आदित्य वर्ल्ड सिटी शाहपुर बम्हटा गाजियाबाद।

/2017-18

दिनांक: 31/11/18

विषय - नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

से: नईदर, मसौदा

आपके आवेदन पत्र दिनांक 31.08.2017 के और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्पूर्वी परामर्श/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से मैं सेंट जेवियर्स हाई स्कूल (जू0हा0स्कूल स्तर) आदित्य वर्ल्ड सिटी शाहपुर बम्हटा गाजियाबाद को कक्षा नर्सरी से कक्षा-8 तक हेतु दिनांक 01.04.2018 से तीन वर्ष की अवधि के लिए मान्यता समिति की दिनांक 31.12.2017 की कार्यवाही में स्वयं सहमति अनुमोदन के आधार पर औपबंधिक मान्यता का प्रदान किया जाना सम्बन्धित करता हूँ-

- मान्यता में लिये स्वीकृति विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के बाद मान्यता/सम्बद्धता प्रदान करने के वास्तविक को विवक्षित नहीं करता है।
- विद्यालय नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 और नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के उपबंधों का पालन करेगा।
- विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में), कक्षा की सदस्य संख्या के 25 प्रतिशत तक पासा-पडोस के जन्मजात वर्ग और साधनहीन समूह के बालकों को प्रवेश देगा और इनकी शिक्षा पूर्ण होने तक नि:शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक/उच्च प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
- नियम-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूर्ति का प्रयास करेगा। ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
- नर्सरी/विद्यालय किसी कैंपिशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्कॉलरशिप प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।
- विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सूल न होने के कारण, धर्म, जाति, अथवा नस्ल, जन्म स्थान अथवा उन्मत्तता के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा।
- विद्यालय निम्नलिखित बातों को सुनिश्चित करेगा-
(ए) प्रवेश देते वर किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा न तब विद्यालय में निष्कासित नहीं किया जाएगा।
(ब) किसी भी बालक का शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्याधीन नहीं किया जाएगा।
(स) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बंड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
(द) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 23 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा।
- (घ) अधिनियम के उपबंध के अनुसार नि:शक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
- (ङ) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यालय अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पांच वर्ष की अवधि के भीतर इसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।
- (च) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन नि:निर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और अध्यापक-वर्ग को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
- विद्यालय र मुचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।


(Handwritten signature)

St. Xavier's High School

(Handwritten signature)
Principal



4. विद्यालय छात्रों का नामांकन विद्यालय में उपनयन सुविधाओं के अनुपात में करेगा जैसा कि अधिनियम की धारा 15 में उल्लेख किया गया है। विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रतिक्रिया निम्नांकित है:-
- विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल-1542 वर्गमी कुल निर्मित क्षेत्र-1536 वर्गमी0 कीड़ा-स्थल का क्षेत्रफल- शून्य
- कक्षाओं की संख्या-11 प्राधानाध्यापक कक्ष-01 सह-कार्यालय-01 सह-भंडागार के लिए कक्ष-01
- कार्यालय और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय- है पंचजल सुविधा- उपलब्ध है।
- भा - 11 साल स्कूल के लिए रसाई- X बाधा रहित गेट है
- अनुसूचित जाति छात्रों/ कीड़ा खेलकूद उपकरण/ पुस्तकालय की उपलब्धता
- विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।
- विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीड़ा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
- विद्यालय जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्काल प्रपूत किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्याय द्वारा चलाया जा रहा है।
- स्कूल को किसी व्यक्ति/ व्यक्तियों के समूह या संगम या किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
- विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड, अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
- आपका विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक नर्सरी-VIII-68/2019-20 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
- विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/ जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित/ स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशकों का पालन करता है, जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्याकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।
- सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
- छात्र छात्राओं के बैठने हेतु प्रति छात्र 9 वर्ग फीट का स्थान सुरक्षित करते हुए कक्षा की माप के हिसाब से छात्र संख्या निर्धारित की जाए।
- विद्यालय प्रबंधन/ न्याय और कार्यकारी वर्ग समय समय पर जारी किये गये राज्य सरकार के निर्देशों का अनुपालन करेगा
- सलग्न अनुसूचक तीन के अनुसार अन्य शर्तें।
मान्यता प्राप्त करने में यदि किसी तथ्य का गोपन किया गया होगा अथवा दिये गये पत्राचारों में कोई पत्र फर्जी या कूटस्थित पाया जाता है तो यह मान्यता पत्र निरस्त कर दिया जायेगा तथा उचित कार्यवाही की जायेगी जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

भवदीय

 (विनय कुमार)
 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
 गाजियाबाद।

30/0/मान्यता/ /2017-18 तददिनांक-
 मिति-निम्नांकित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-
 मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक प्रथम मण्डल मेट्ट।
 खण्ड शिक्षा अधिकारी, नगर क्षेत्र कविनगर संभाग गाजियाबाद।
 कार्यालय प्रति।

(विनय कुमार)
 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
 गाजियाबाद।

St. Xavier's High School

Principal



संलग्नक-अनुलग्नक तीन

विद्यालयों के संचालन हेतु अन्य शर्तें निम्नवत् होंगी-

- 1- बी-प्राइमरी से कक्षा-8 तक के शिक्षण के लिये 30प्र0 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011की धारा-6 के प्रस्तर-15 में प्रदत्त व्यवधानुसार अहंताधारी अध्यापक/अध्यापिकाओं का उपलब्ध होना आवश्यक है। यह भी ध्यान रखा जायेगा कि उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिये कम से कम प्रति कक्षा-कक्ष हेतु विज्ञान और गणित, सामाजिक अध्ययन भाषा से सम्बन्धित शिक्षक उपलब्ध हों, इसके अतिरिक्त बाल शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा एवं कार्यानुगत शिक्षण हेतु भी एक एक शिक्षक उपलब्ध होना चाहिये।
- 2- विद्यालय में आवश्यकतानुसार लिपिक एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति की जानी आवश्यक है। चौकीदार, आया एवं सफाई कर्मचारी की अंशकालिक नियुक्ति मान्य की जा सकती है। शेष सभी शिक्षक, शिक्षणोत्तर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति पूर्णकालिक होना आवश्यक है।
- 3- विद्यालय के कर्मचारियों के लिये प्रबन्धाधिकरण द्वारा सेवा नियमावली बनाकर प्रस्तुत की जायेगी जिसमें नियुक्ति का प्रकार, परिवीक्षाकाल, स्थायीकरण तथा दण्ड के सम्बन्ध में संविधान एवं विधि सम्मत प्रक्रिया का स्पष्ट उल्लेख किया जाना आवश्यक है। प्रबन्धाधिकरण के समक्ष अधिकारी एवं विद्यालय के सभी श्रेणी के कर्मचारियों(प्रधानाध्यापक, अध्यापक, शिक्षणोत्तर कर्मचारी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) के मध्य विधिमान्य सेवा अनुबन्ध निष्पादित किया जायेगा और जो सम्बन्धित जिला वेंसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कराना होगा और तसकी एक प्रति जिला वेंसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सुरक्षित रखी जायेगी।
- 4- सेवा नियमावली में अवकाश, पेंशन, ग्रेज्युटी, बीमा, पी0एफ0 तथा अन्य कर्मचारी कल्याणकारी योजनाओं का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है।
- 5- मान्यता प्राप्त विद्यालय द्वारा छात्रों से शिक्षण शुल्क एवं मंहगाई शुल्क मिलाकर उतना मासिक शुल्क स्वीकार किया जायेगा जो अध्यापकों/कर्मचारी कल्याणकारी योजना का अंशदान वहन करने के लिये पर्याप्त हो। इसके अतिरिक्त शिक्षण शुल्क तथा मंहगाई शुल्क से विद्यालय की वार्षिक आय में से वेतन भुगतान के पश्चात शुल्क आय के 20 प्रतिशत से अधिक बचत न हो। शिक्षण शुल्क में कोई वृद्धि तीन वर्ष तक नहीं की जायेगी। शुल्क में जब वृद्धि की जायेगी वह 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। विद्यालय द्वारा निम्नलिखित मदों में शुल्क लिया जा सकता है- 1- शिक्षण शुल्क 2- मंहगाई शुल्क 3- विकास शुल्क 4- बिजली पानी आदि 5- प्रस्तावकालय एवं वाचनालय ढीडा शुल्क 6- विज्ञान शुल्क 7- श्रव्य शुल्क 8- फील्ड शुल्क 9- परीक्षा/मुल्यांकन 10- विद्यालय समारोह/उत्सव 11- विशेष विषयों की शिक्षा- कम्प्यूटर/संगीत आदि।
- 6- विद्यालय स्वीकृत सेवा शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
- 7- जिला वेंसिक शिक्षा अधिकारी स्वयं या किसी व्यक्ति से प्राप्त प्रत्यावेदन के आधार पर यह अभिलिखित शर्तों से अनुष्ठ है कि मान्यता प्रदत्त किसी विद्यालय द्वारा मान्यता हेतु निर्धारित एक या एक से अधिक शर्तों का तत्त्वचन किया गया है अथवा अनुराची में निर्धारित मानकों एवं स्तर को पूर्ण करने में चूक की गई है तो विद्यालय का एक माह के अंदर स्पष्टीकरण सम्बन्धी नोटिस निर्गत किया जायेगा। स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है अथवा स्पष्टीकरण सतोषजनक नहीं होता है तो नियमानुसार मान्यता प्रत्याहरण की कार्यवाही की जायेगी।
- 8- जिला वेंसिक शिक्षा अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना सरथा द्वारा कक्षा अथवा कोई अनुभाग न खोला जायेगा और न ही बन्द किया जायेगा न समाप्त किया जायेगा और न ही स्थानान्तरित किया जायेगा। किसी भी विद्यालय को शाखा विद्यालय चलाने की अनुमति नहीं होगी।
- 9- प्रथमतया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता तीन वर्ष के लिये दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संचालित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गई है।

उक्त मानका / शर्तों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

(गिनय कुमार)

जिला वेंसिक शिक्षा अधिकारी

ग्राजियाबाद।



[Handwritten Signature]

St. Xavier's High School

Principal